(भाग 1)

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

पीठासीन अधिकारी सरिता नौशाद, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या 21/2015
सी.आई.एस.नंबर 328/2015
सी.एन.आर.नम्बर **RJBK130000092015**
निर्णय दिनांक 19-03-2026 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 68/2015 पुलिस थाना सेरूणा अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी, सपठित धारा 34 भा.द.सं.

भाग प्रथम

परिवादी	आदूराम पुत्र भगाराम निवासी नायको का मोहल्ला भीनासर, तहसील बीकानेर जिला बीकानेर।
प्रस्तुत द्वारा	विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्रीडूंगरगढ़। श्री रामलाल नायक विद्वान अधिवक्ता परिवादी पक्ष की ओर से।
अभियुक्तगण	1- नौरंगराम पुत्र देवीलाल, 2- मोहनी देवी पत्नी देवीलाल, निवासीगण भोजास पुलिस थाना सेरूणा जिला बीकानेर।
अभियुक्तगण अधिवक्ता	श्री मुमताज भाटी व श्री राधेश्याम दर्जी।

(ख)

घटना की दिनांक	04-09-2015
लिखित रिपोर्ट की दिनांक	04-09-2015
आरोप-पत्र की दिनांक	05-10-2015
आरोप विरचना की दिनांक	22-02-2017
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक	15-11-2018
निर्णय सुरक्षित की दिनांक	---
निर्णय दिनांक	19-03-2026
दण्डादेश की दिनांक	

अभियुक्त विवरण

क्र सं	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहायी की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त	अधिरोपित सजा	धारा 428 दंप्रसं के तहत समायोजन वास्ते निरूद्ध समयावधि
1	नौरंगराम	07-09-2015	06-01-2016	धारा 498ए, 304बी, सपठित धारा 34 भा.द.सं.	धारा 498ए, 304बी, सपठित धारा 34 भा.द.सं.	--	07-09-2015 से 08-09-2015 तक पुलिस अभिरक्षा तत्पश्चात दिनांक 06-01-2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में
2	मोहनीदेवी	24-09-2015	06-01-2016	धारा 498ए, 304बी, सपठित धारा 34 भा.द.सं.	धारा 498ए, 304बी, सपठित धारा 34 भा.द.सं.	---	24-09-2015 को पुलिस अभिरक्षा तत्पश्चात दिनांक 24-09-2015 से ही दिनांक 06-01-2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में

1- भाग द्वितीय 2

अभियोजन /बचाव//न्यायालय गवाह सूची

अ-अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू.1	आदूराम	परिवादी
पी.डब्ल्यू.2	ओमप्रकाश	परिवादी का भाई
पी.डब्ल्यू.3	कुम्भाराम	फर्द पंचायतनामा
पी.डब्ल्यू.4	बिशनाराम	परिवादी का भाई
पी.डब्ल्यू.5	रतनलाल	परिवादी का भाई
पी.डब्ल्यू.6	नेमाराम	मृतका का पड़ौसी
पी.डब्ल्यू.7	संहवन से आगे पी.डब्ल्यू.8 अंकित हो गया इसलिए पी.डब्ल्यू.7 विलोपित माना जायेगा।	
पी.डब्ल्यू.8	मोहननाथ	फर्द गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू.9	देवनाथ	फर्द गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू.10	शिवलाल	नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू.11	ओमप्रकाश	पड़ौसी गवाह
पी.डब्ल्यू.12	नरेन्द्रसिंह	फर्द गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू.13	कमलेश कुमार	फर्द गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू.14	बन्नेसिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.15	डॉ. दौलतराम	चिकित्सकीय साक्षी

1- ब-बचाव गवाह

रैंक	**-----**	**---------**

स-न्यायालय गवाह

रैंक	**--------**	**---------**

अभियोजन/बचाव/ न्यायालय प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्श

क्र सं	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	लिखित रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 2 व 2 ए	नक्शा मौका व हालात मौका
3	प्रदर्श पी 3	फर्द सुपुर्दगी लाश
4	प्रदर्श पी 4	फर्द सूरत हाल लाश मृतका गोमती देवी
5	प्रदर्श पी 5	पंचायतनामा लाश मृतका गोमती देवी
6	प्रदर्श पी 6	पुलिस बयान बिशनाराम अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी.
7	प्रदर्श पी 7	पुलिस बयान रतनलाल अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी.
8	प्रदर्श पी 8	पुलिस बयान नेमाराम अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी.
9	प्रदर्श पी 9	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मोहनी देवी
10	प्रदर्श पी 10	पुलिस बयान ओमप्रकाश अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी.
11	प्रदर्श पी 11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त नौरंगराम
12	प्रदर्श पी 12	चाक एफआईआर
13	प्रदर्श पी 13	शादी कार्ड
14	प्रदर्श पी 14	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
ख- बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
प्रदर्श डी 1 पुलिस बयान आदूराम अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी.		
प्रदर्श डी 1 पुलिस बयान ओमप्रकाश अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी.		

<u>निर्णय</u> **दिनांक 19-03-2026**

1- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी आदूराम पुत्र भागाराम ने एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 04-09-2015 को 12-30 पी.एम. पर श्रीकानसिंह एएसआई पुलिस थाना सेरूणा के समक्ष गांव भोजास में कानूनी कार्यवाही करने हेतु पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी गांव भीनासर नायको का मोहल्ला बीकानेर का रहने वाला है। इसकी पुत्री गोमती की शादी नौरंगराम पुत्र देवीलाल नायक निवासी भोजास तहसील श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाना सेरूणा के साथ की थी। दिनांक 04-09-2015 को वक्त लगभग नौ बजे प्रातः इसे फोन से सूचना मिली कि तुम्हारी पुत्री गोमती अपने घर के झोपड़े के अन्दर आग से जल गई है। आप तुरन्त पहुँचो। परिवादी अपने परिवार के भाई **भंवरलाल, बिशनाराम, रतनलाल, कुम्भाराम, ओमप्रकाश** के साथ अपनी लड़की के ससुराल भोजास पहुँचा व देखा कि उसकी लड़की गोमती झोपड़े के अन्दर बुरी तरह से जली हुई शव के रूप में मिली। इसे इसकी बेटी द्वारा शादी के बाद कई बार सूचना दी जाती रही कि पिताजी मुझे मेरी सासु व मेरा पति मकान बनाने हेतु पैसे की मांग कर रहे है और मुझे परेशान करते है। एक वर्ष पूर्व भी इसकी पुत्री के साथ मारपीट व दहेज के लिए आये परेशान करते रहते थे। मारपीट भी करते थे। ऐसी सूचनायें इसे महिने में एक-दो बार मिलती रहती थी। इसकी पुत्री की जलने की घटना दिनांक 04-09-2015 को प्रातः आठ बजे के लगभग हुई थी। अपनी पुत्री को दहेज के लिए जलाकर मारना बताते हुए कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया। उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी पुलिस थाना सेरूणा द्वारा दिनांक 04-09-2015 को 6-15 पी.एम. पर एफआईआर नम्बर 68/2015 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा.द.सं.में दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान दिनांक 05-10-2015 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष अभियुक्तगण नौरंगराम व मोहनी देवी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. के तहत चालान पेश किया जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त आरोपित अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर के न्यायालय को कमिट किया गया। दिनांक 30-10-2015 को प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय, बीकानेर के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 बीकानेर कैम्प कोर्ट श्रीडूंगरगढ़ को दिनांक 05-11-2015 को वास्ते

विचारण प्राप्त हुई जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचारण प्रारम्भ किया गया।

2- दिनांक 22-02-2017 को बहस चार्ज सुनी गयी। अभियुक्तगण नौरंगराम व मोहनी देवी अपराध अन्तर्गत धारा 498ए/34, 304बी/34 भा.द.सं. का आरोप पृथकतः विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य तलब की गई।

3- अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.1 आदूराम, पी.डब्ल्यू.2 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू.3 कुम्भाराम, पी.डब्ल्यू.4 बिशनाराम, पी.डब्ल्यू.5 रतनलाल, पी.डब्ल्यू.6 नेमाराम, पी.डब्ल्यू.7 (संहवन से आगे पी.डब्ल्यू.8 अंकित हो गया इसलिए पी.डब्ल्यू.7 विलोपित माना जायेगा।), पी.डब्ल्यू.8 मोहननाथ, पी. डब्ल्यू.9 देवनाथ, पी.डब्ल्यू.10 शिवलाल, पी.डब्ल्यू.11 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू.12 नरेन्द्रसिंह, पी.डब्ल्यू.13 कमलेश कुमार, पी.डब्ल्यू.14 बन्नेसिंह, पी.डब्ल्यू.15 डॉ. दौलतराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

4- दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी 1 लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 व 2ए नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी 3 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श पी 4 फर्द सूरत हाल लाश मृतका गोमती देवी, प्रदर्श पी 5 पंचायतनामा लाश मृतका गोमती देवी, प्रदर्श पी 6 पुलिस बयान बिशनाराम अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी., प्रदर्श पी 7 पुलिस बयान रतनलाल अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी., प्रदर्श पी 8 पुलिस बयान नेमाराम अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी., प्रदर्श पी 9 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मोहनी देवी, प्रदर्श पी 10 पुलिस बयान ओमप्रकाश अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी., प्रदर्श पी 11 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त नौरंगराम, प्रदर्श पी 12 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी 13 शादी कार्ड, प्रदर्श पी 14 पोस्टमार्टम रिपोर्टको प्रदर्शित करवाया गया।

5- बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए तो अभियुक्तगण ने गवाहान के कथन गलत होना बताये और अभियुक्ता मोहनी ने कथन किया कि उसकी बहू गोमी झोपड़े में खाना बना रही थी तो वहां खाना बनाते समय झोपड़े में आग लग गई। इसने उसे बचाने का प्रयास किया था। इसका लड़का खेत गया हुआ था। गोमती व इसका लड़का अलग रहते थे। आग दुर्घटनावश लगी थी। इसने कोई अपराध नहीं किया।

6- अभियुक्त नौरंगराम ने कथन किया कि घटना के दिन सुबह वह अपनी पत्नी को अपने झोपड़े में राजीखुशी छोड़कर गया था तथा इसकी पत्नी खाना बनाकर इसके पास खेत में आने वाली थी। मगर दुर्घटनावश इसकी पत्नी झोपड में खाना बनाते वक्त आग लगने से जल गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसने व इसके परिवार वालों ने उसे किसी बात को लेकर परेशान नहीं किया। ये दोनों खुश थे। इसने कोई अपराध नहीं किया और स्वयं को झूंठा फंसाया जाना बताया। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना बताई किन्तु पेश नहीं की।

7- बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन ने अपनी अभियुक्तगण के विरूद्ध अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित किया है। अभियुक्तगण ने मृतका को दहेज की मांग की पूर्ति नहीं करने पर झोपड़े में जलाकर मार डाला तथा इस तथ्य को परिवादी ने एफआईआर में लिखाया और अपनी साक्ष्य में भी बताया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों के तहत दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जावे।

8- इसके विपरीत जवाब बहस में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन है कि परिवादी ने प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट में क्रूरता करने व दहेज मांगन की कोई तारीख, दिन, महिना व साल नहीं बताया। स्वयं के साथ मृतका की घटना से पूर्व इस तथ्य बाबत कोई रूबरू बात होना नहीं बताई, ना ही ये बताया कि पीहर आने पर मृतका ने उसे अपने साथ मारपीट करने या दहेज मांगने की बात कब बताई। घटना से पूर्व यदि ऐसी बात होती तो परिवादी अवश्य पंचायत बुलाता या पुलिस में कोई शिकायत करता परन्तु ऐसा तथ्य पत्रावली पर विद्यमान नहीं है। एक वर्ष पूर्व भी अपनी पुत्री को अभियुक्तगण द्वारा परेशान करना बताता है परन्तु तब से लेकर घटना की दिनांक 04-09-2015 के मध्य अन्य कोई बात या घटना नहीं होना बताता है। प्रदर्श पी 3,4,5 एफआईआर दर्ज से पहले की फर्दे है जो पोस्ट इन्वेस्टीगेशन की कार्यवाही है। सभी गवाहान एक ही परिवार के है तथा भीनासर के है जबकि घटना भोजास गांव की है। जो गवाह परीक्षित हुए है वे घटनास्थल के पास के नहीं है तथा ओमप्रकाश, मोहननाथ, नेमाराम, मोहनसिंह घटनास्थल के पास के है जो परीक्षित नहीं हुए है। बिशनाराम परिवादी का भाई है जो पक्षद्रोही हुआ है। रतनलाल भी परिवादी का भाई है जो राजीखुशी रखना कहता है। घटना से पूर्व किसी भी प्रकार के झगड़े का कथन कोई गवाह नहीं करता है।

Seen Before Incident की साक्ष्य नहीं है। सभी गवाहान कहते है कि घटना के समय अभियुक्त नौरंगराम अपने खेत में था, घटनास्थल पर नहीं था। घटनास्थल से कोई बरामदगी नहीं की गई है। अनुसंधान अधिकारी ने कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य इक्ट्ठा नहीं किया है। कोई खोजकारी साक्ष्य नहीं लिये गये है। आग कैसे लगी इसका कोई खुलासा नहीं किया है। घटना के तीन माह पूर्व मृतका अपने पीहर आई थी परन्तु परिवादी उस दौरान उसके द्वारा स्वयं को कोई भी बात परेशान करने बाबत नहीं बताना कहता है। अभियोजन द्वारा कुल 15 गवाह साक्ष्य में परीक्षित करवाये गय है जिनमें गवाह पी.ड.3 कुम्भाराम, पी.ड.4 बिशनाराम, पी.ड.5 रतनलाल, पी.ड.6 नेमाराम, पी.ड.8 मोहननाथ पक्षद्रोही घोषित हुए है। हालात मौका में वीडियोग्राफी का हवाला दिया गया है परन्तु ऐसी साक्ष्या पत्रावली पर पेन ड्राईव या सी.डी. पेश कर शामिल नहीं किया गया है। मेडिकल एवीडेंस से किसी तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि मृत्यु की प्रकृति एक्सीडेन्टल थी या आत्महत्या की गई थी। अभियुक्ता मोहनी दवी मृतका के झोपड़े से अलग निवास करती थी। वह मृतका को बचाने आई थी जिसकी पुष्टि गवाहान करते है। इसप्रकार अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को बरी किया जावें। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्त अभियुक्तगण ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियाः-

1- Karan Singh Vs State of Haryana Criminal Appeal No 1076/2014 Supreme Court of India.

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैः-

1- आया अभियुक्तगण ने दिनांक 14-02-2013 को मृतका गोमती की शादी के पश्चात से लेकर दिनांक 04-09-2015 को प्रातः आठ बजे तक अपने भोजास गांव स्थित रिहायशी मकान में मृतका गोमती के पति/सास होते हुए उससे दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किया?

2- आया अभियुक्तगण ने ने दिनांक 14-02-2013 से लेकर दिनांक 04-09-2015 तक गोमती को पति/सास होते हुए दहेज के लिए तंग व परेशान कर क्रूरता की एवं उक्त क्रूरता के परिणाम-स्वरूप दिनांक 04-09-

2015 को प्रातः आठ बजे गोमती ने ससुराल में अपने आप को आग लगा ली जिससे शादी के सात वर्ष के भीतर उसकी असामान्य परिस्थितियों में ससुराल में मृत्यु हो गई, ऐसे में अभियुक्तगण ने क्रूरता करते हुए दहेज हत्या कारित की?

3- यदि हां, तो युक्तियुक्त दण्ड क्या हो?

10- उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में पत्रावली पर विद्यमान समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार हैः-

11- गवाह पी.डब्ल्यू.1 आदूराम मृतका का पिता व परिवादी है। इसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इसकी लड़की गोमती की शादी माह फरवरी 2013 में भोजास तहसील श्रीडूंगरगढ़ निवासी नौरंगलाल के साथ हुई थी। शादी के बाद इसकी बेटी को सास, ससुर व पति दहेज के लिए तंग परेशान करने लगे। वे कभी रूपये व कभी अंगूठी की मांग करने लगे और इसके लिए मारपीट करने लगे। तब ये उसे ससुराल से अपने घर लेकर आ गया। उस समया उसके पति नौरंगराम ने मारपीट की थी। उसकी सास भी मारपीट करती थी और उसकी नणद लिछमा भी परेशान करती थी। वो लोग कहते थे कि तेरा बाप रूपयों से मजबूत है। तेरे बाप से कहकर रूपये या जमीन हमारे नाम करवादे। उसके बाद दिनांक 04-09-2015 को सुबह आठ बजे इसके पास गोमती के ससुराल से एक मेघवाल का फोन आया कि तेरी लड़की झोपड़े में जल गई। इसने उसे कहा कि हॉस्पीटल ले जाओ। तब उसने बताया कि हॉस्पीटल दिखाने लायक नहीं है। आप जल्दी आकर उसे देखो। गवाह ने कहा कि फिर हमने बीकानेर से आते समय सेरूणा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस को साथ लेकर आये। जब हम उसके ससुराल पहुँचे तो पुलिस ने और हमने देखा कि गोमती झोपड़े के अन्दर पूरी तरह से जली हुई थी। फिर पुलिस ने वहां नक्शा मौका और पंचनामा बनाया। फिर डॉक्टर को बुलाकर डॉक्टरी मुआयना करवाया। फिर डॉक्टर व पुलिस ने मुझे उसकी लाश सौंपी जिसक फर्द प्रदर्श पी 3 पर ए से बी अपनी हस्ताक्षर होना बताये। फिर मैंने उसके ससुराल वालों को लाश वापस सौंप दी। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये। साक्ष्य के वक्त मुलजिमान को हाजिर अदालत होना बताया।

12- इस प्रकार इस गवाह ने शादी के बाद अपनी बेटी को उसकी सास, ससुर व पति द्वारा तंग परेशाान करना, मारपीट करना बताया है। दहेज में रूपये व अंगूठी की मांग करना, जमीन नाम करवाने की कहना और एक बार सास व पति द्वारा मापीट करने पर उसे अपने घर ले जाना कहता है।

13- जिरह में कथन करता है कि फरवरी 2013 में इसने अपने दो बेटियों व एक बेटे विजय उर्फ बिट्टु की साथ ही शादी की थी। यह कहना गलत बताया कि शादी के बाद इसके बेटे ने फांसी लगा ली हो बल्कि उसकी हत्या होनी बताई। यह सही बताया कि पुलिस ने यह माना कि इसके लड़के ने किसी लड़की के चक्कर में फांसी खाई है। घटना वाले दिनांक 8-30 ए.एम. पर बीकानेर से रवाना होकर बारह बजे सेरूणा थाने पहुँचे, फिर इसके कहने से पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी थी। गवाह ने कहा कि मुझे वहां खड़े लोगो ने बताया कि रात को शराब पीकर वह मारपीट कर रहे थे। और रात को ही मेरी लड़की को मार दिया फिर घसीटकर झोंपड़े में डाल दिया। परंतु गवाह ने कहा है, कि वह उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता। यह बात लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी01 व पुलिस बयान प्रदर्श डी01 में नहीं लिखवाई क्योंकि पुलिस ने इसे पूछी ही नही। वहां खड़े नौरंगलाल के रिश्तेदारों ने मुझे कुछ नहीं कहा। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की या नहीं पता नहीं। **मैं बी.पी.एल. परिवार से आता हूं। पांच-छः वर्षों से मेरे कोई काम-धन्धा नहीं है। मुझे यह नहीं पता कि घटना से डेढ-दो वर्षों पहले मेरी लड़की अलग से झोंपड़े में रहती हो। मैंने पहले मेरी लड़की के शरीर पर मारपीट की घटनाओं की चोट देखी थी।** डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन डॉक्टर की पर्चियां संभाल कर नहीं रखी। यह बात प्रदर्श पी01 रिपोर्ट व बयान प्रदर्श डी01 में अंकित नहीं है। मैंने आज ससुराल वालो द्वारा जबरदस्ती मारपीट और ननदों द्वारा यह कहना कि थारो बाप लांठो घणों है, रूपये दिलाओ या जमीन दिलाओ, आज मैंने बिना पूछे मर्जी से पहली बार कही है। **यह कहना सही बताया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी01 में यह बात नहीं लिखी कि कितने रूपये मांगते थे और कब मांगते थे, और क्या मांगते थे। नौरंगलाल व उसके परिवार वाले मेरी लड़की से मांग करते थे, मुझ से मांग नहीं करते थे।** यह सही है कि पर्चा बयान में मेरी लड़की द्वारा मुझे रूबरू होकर कोई भी बात कहना अंकित नहीं है। पर्चा बयान में मुझे केवल फोन से सूचना प्राप्त होना ही लिखा है। **डेढ़ दो वर्ष पहले मारपीट करने की बात भी मेरी लड़की ने मुझे फोन से बताई थी। यह कहना सही है कि डेढ-दो वर्ष पहले मुझे मेरी लड़की ने फोन से सूचना दी थी और उसके बाद मुझे दिनांक 04/09/2015 को ही सूचना मिली थी। इसके मध्य समय में मेरी लड़की ने मुझे ससुराल वालो की कोई शिकायत नहीं की। मुझे यह नही पता कि मेरी लड़की घटना से एक दिन पहले श्रीडूंगरगढ अपने पति के साथ राजीखुशी मजदूरी करके गई हो।** घटना वाले दिन हम मेरी बेटी के ससुराल भोजास

करीब 12.30 बजे पहुंचे थे। यह सही है कि जब हम वहां पहुंचे तो घटनास्थल पर ओमप्रकाश, मोहनसिंह, नेमाराम आदि कई लोग मौजूद थे। **मुझे वहां मौजूद लोगो ने यह बात** बताई होगी कि नौरंगलाल खेत में काम करने गया हुआ था और गोमती की खाना बनाते समय दुर्घटना में जलकर मृत्यु हो गई। **मैंने स्वयं ने कोई घटना नहीं देखी।** अजखुद कहा कि वहां झोंपड़े में चुल्हा ही नहीं था तो आग कैसे लग सकती है। **यह सही बताया कि झोंपड़े में लाईट व गैस का कनेक्शन नहीं था। मुझे नहीं पता कि गोमती झोंपड़े में खाना कैसे बनाती थी।** झोंपड़े में प्रकाश की व्यवस्था के लिए मिट्टी के तेल की चिमनी जलाते थे। अजखुद कहा कि चिमनी जलाते थे या नहीं मुझे पता नही। यह गलत बताया कि इसकी बेटी इससे केरोसिन का तेल लेकर गई हो। यह पता नहीं होना बताया कि गोमती झोंपड़े में खाना कैसे बनाती थी। अजखुद कहा कि बाहर दूर एक चूल्हा बनाया हुआ था। नक्शा मौका प्रदर्श पी02 में ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताये। यह पता नहीं होना बताया कि नक्शा मौका में बाहर चुल्हा क्यों नहीं दिखाया, यह बनाने वाला ही बता सकता है। गवाह ने कहा कि इस झोंपड़े में आग कैसे लगी वह नहीं बता सकता। **यह सही बताया कि इसे सूचना देने वाले ने यही बताया कि गोमती झोंपड़े में आग से जल गई। उसे जला दिया गया है, यह नहीं बताया।** यही बात प्रदर्श डी01 में बताना बताई। जो झोंपड़ा जला था उसके आसपास किसी अन्य के मकान नहीं है। झोंपड़े में ईंटो का चुल्हा बना हो तो जानकारी नहीं होना बताया। गवाह ने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी बेटी गोमती चुल्हा जलाने के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग करती हो। अजखुद कहा कि मिट्टी का तेल तो चिमनी जलाने के लिए भी नहीं था। मैं झोंपड़े के अंदर नहीं गया। मेरे पहुंचने से पहले ही पुलिस वहां आई हुई थी। मेरे पहुंचने से पहले की पुलिस ने मौका देख लिया था। मुझे ये नहीं पता की घटना के दिन नौरंगलाल खेत में काम करने गया हो और गोमती खाना बनाकर स्वयं खेत में जाने की तैयारी कर रही हो। मुझे यह नहीं पता कि झोंपड़ा जलकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इसकी सूचना नोरंग को उसके भाई ओमप्रकाश ने दी हो और नौरंग जब खेत से वापस आया तब झोंपड़ा पूरी तरह जल गया हो और इस दुर्घटना में गोमती की मृत्यु हुई हो। **यह सही बताया कि गोमती के पास कोई मोबाईल फोन नहीं था। नौरंगलाल ही अपने फोन से गोमती की बात मेरे से करवाता था। गोमती आपात स्थिति में ही मेरे से बात करती थी।** यह सही बताया कि पुलिस को गोमती के ससुराल वालों ने बुलाया था। मेघवाल की बात को सही मानकर ही घटनास्थल पर आया था। इस

मेघवाल से ना तो कभी ये मिला व ना ही जानता है। रात को गोमती को मारने की बात बताई वह सही है। घटनास्थल के आस-पास कालुराम, मालाराम, राजुराम, नेमाराम व ओमप्रकाश के मकान है और पास में स्टेशन है। मैंने इनमे से किसी से भी नहीं पूछा कि ये घटना कैसे हुई। यह सही बताया कि घटना से पहले गोमती व नौरंगलाल डुंगर खेत में मजदूरी करके वापस घर साथ आते थे। और उससे पहले भी घर साथ-साथ आते थे। **यह सही बताया कि प्रदर्श पी01 में यह अंकित नहीं है कि मैं इस घटना से पहले कभी भी अपनी लड़की के ससुराल आया होऊ।** अजखुद कहा कि लड़की को लेने तो हमेशा मैं ही आता था। यह सही बताया कि गोमती के कोई सन्तान नहीं थी। सन्तान के लिए उसका इलाज भी करवाया था। प्रदर्श पी01 स्वयं की लिखी नहीं होना और ये पुलिसवालों से लिखवाना बताई। जो इसे पढकर सुनाई थी।

14- इस घटना से तीन माह पहले अपने पुत्र विजय की मृत्यु होना और उसकी मृत्यु होने पर नौरंगलाल, गोमती तथा उसके ससुराल वाले भी आये थे। उस समय गोमती पांच-सात दिन इसके घर पर रही थी। इसके बाद लड़के के 12 वीं के काम पर भी नौरंगलाल आया था और गोमती को लेकर चला गया। मुझे नहीं पता कि गोमती के झोंपड़े में खाना बनाते समय आग लग गई हो और दुर्घटना हो गई हो। तब मोहनी व दो-तीन औरते बचाने के लिए चिल्लाई हो और पड़ोसी **मोहनसिंह, नेमाराम, ओमप्रकाश** आदि आये हो तथा मोहनी द्वारा पानी डालकर बचाव करते समय उसका हाथ जल गया हो।

15- इस प्रकार गवाह पी.ड.01 आदुराम परिवादी व मृतका गोमती के पिता घटना के चश्मदीद गवाह नहीं है। घटना की सूचना फोन पर अपनी बेटी के ससुराल के एक मेघवाल द्वारा दिनांक 04/09/2015 को सुबह 08 बजे देना बताता है। अपनी बेटी के पास मोबाईल फोन नहीं होना और अपने दामाद नौरंगराम द्वारा ही अपनी बेटी से स्वयं की बात करना बताता है। गवाह के कथनों से ये प्रकट होता है कि उसने अपनी बेटी के झोंपड़े को पहले कभी नहीं देखा है। आपात स्थिति में स्वयं को अपनी बेटी द्वारा फोन करना बताता है, परन्तु इस घटना से पहले अपनी बेटी द्वारा कोई फोन से बात की जाना इसकी साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। इस घटना से डेढ-दो साले पहले मारपीट करने की बात अपनी बेटी द्वारा फोन पर बताना बताई है। मारपीट किसने की ये नहीं बताया है। मारपीट क्यों की ये भी नहीं बताया है। और उसके बाद दिनांक 04/09/2015 को ही स्वयं को सूचना मिलना बताई है। दिनांक 04/09/2015 से डेढ-दो वर्ष पूर्व व वहां से दिनांक 04/09/2015 के बीच

की अवधि में अपनी बेटी गोमती द्वारा अपने ससुराल वालो की कोई शिकायत नहीं करना बताई है। इस प्रकार इस गवाह के कथनानुसार घटना से पूर्व दो वर्ष के मध्य में मृतका को उसके पति या ससुराल वालों की तरफ से किसी प्रकार की प्रताड़ना की कोई शिकायत नहीं थी। अपने मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि शादी के बाद इसकी बेटी भी सास, ससुर व पति दहेज के लिए तंग परेशान करने लगे। परंतु शादी के कितने दिन, माह, वर्ष बाद परेशान किया यह नहीं बताया है। अपने बयानों में पी.ड.01 आदुराम परिवादी कहता है, कि उससे कभी रूपये व कभी अंगूठी की मांग करते व मारपीट करते। प्रदर्श पी01 रिपोर्ट में अंगुठी की मांग करने बाबत नहीं लिखा है, तथा अपनी पुत्री के साथ मारपीट का कोई मेडिकल दस्तावेज नहीं होना बताया है। इसने अपनी जिरह में कथन किया है कि इसकी बेटी अलग झोंपड़े में रहती हो तो भी इसे पता नहीं है। और अपनी पुत्री द्वारा स्वयं रूबरू होकर किसी घटना अथवा मारपीट या दहेज की मांग बाबत जानकारी भी स्वयं को देना नहीं बताई है और इस गवाह ने यह भी कहा है, कि यदि खाना बनाते समय दुर्घटनावश झोंपडे में आग लगने से इसकी पुत्री दुर्घटनावश जल गई हो तो भी इसे पता नहीं। इस प्रकार यह मामला पूर्णतया परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अतः पत्रावली पर मौजूद अन्य साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण व विवेचन किया जाना आवश्यक है।

16- गवाह पी.ड.02 ओमप्रकाश परिवादी का भाई है। यह मुख्य परीक्षण में कहता है कि शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर रोज झगड़े होते थे। गोमती के ससुराल वाले कहते थे अपने पिता से पैसे लाओ, मकान बनवायेंगे। गोमती की सास कहती थी कि शादी में सोने की अंगुठियां नहीं दी। इस बात को लेकर झगड़ा करते थे। शादी के करीब सालभर बाद खबर आई कि गोमती जलकर मर गई। सूचना मिलने पर ये स्वयं, आदुराम, कुंभाराम, रतनलाल, भंवरलाल, गोमती के ससुराल पहुंचे। पुलिस ने पूछा कि गोमती कैसे जली तो नौरंग ने कहा कि रोटी बनाते हुए जल गई। लेकिन झोंपड़ी के अंदर कोई चुल्हा नहीं था। पुलिस को वहां कोई चुल्हा नहीं मिला। इस गवाह ने गोमती की फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी04, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी05 ए से बी तथा रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी03, नक्शा-मौका घटनास्थल प्रदर्श पी02 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताये है।

17- जिरह में इस गवाह का कथन है कि ये गोमती के ससुराल पहुँचे तो वहां मौके पर ओमप्रकाश, मोहनसिंह, नेमाराम आदि कई लोग मौजूद थे। **उन मौजूद लोगो ने बताया कि गोमती खाना बनाते समय जल गई।**

अजखुद कहा कि झोंपड़े के अन्दर चुल्हा नहीं था। आदुराम बी.पी.एल. श्रेणी में आते है। यह सही बताया कि ये गोमती की लाश वहां से नहीं लाये और ससुराल वालों ने ही उसकी अन्त्येष्टी करवाई। यह सही बताया कि गोमती के बच्चा नहीं हो रहा था लेकिन घटना के समय उसके पेट में बच्चा था। यह पता नहीं होना बताया कि शादी के बाद गोमती ससुराल से अलग हो गई हो। ये घटना वाले दिन पहली बार ही उसके ससुराल गया था। झोंपड़ा कैसे जला पता नही। गोमती कैसे जली पता नहीं। ये पहुंचे तब झोंपड़ा व गोमती जले हुए थे। उसके ससुराल वालों ने रूपयो की मांग की थी परन्तु कितने रूपये मांगे व कब मांगे यह नहीं बता सकता। दहेज की मांग शादी के बाद करने लगे। लेकिन कब-कब मांग की ये नहीं बता सकता। पुलिस बयान प्रदर्श डी01 में झोंपड़े में चुल्हा नहीं होने की बात नहीं लिखी हुई है। प्रदर्श पी02 व प्रदर्श पी05 पर हस्ताक्षर पुलिस वालो ने थाने पर करवाये थे। प्रदर्श पी02 व 05 में क्या लिखा है ये नहीं बता सकता क्योंकि अनपढ़ है। पुलिस ने यह नहीं बताया कि ये कागजात क्या है। यह पता नहीं होना बताया कि गोमती घटना से पहले नौरंगराम के साथ राजीखुशी मजदूरी करने गई हो। यह भी पता नहीं होना बताया कि इससे पहले भी गोमती अपने पित नौरंगराम के साथ डेढ़-दो माह से राजीखुशी काम पर आती जाती रही हो।

18- इस प्रकार ये गवाह मृतका का चाचा है और मृतका अपनी भतीजी के ससुराल पहली बार ही घटना के रोज जाना बताता है। ससुराल वालों द्वारा शादी के बाद रूपये और अंगुठियां नहीं लाने के कारण मृतका को तंग परेशान करना बताता है, परन्तु कब मांग की और कितने रूपयों की मांग की यह स्वयं को जानकारी नहीं होना बताता है और यदि घटना से पहले मृतका व उसका पति राजीरजा काम पर जाते हो तो भी पता नहीं होना बताता है। उक्त दोनों ही गवाह पी.ड.01 आदुराम व पी.ड.02 ओमप्रकाश Soon before death की कोई घटना नहीं बताते है, जिससे ये प्रकट होता हो कि मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका के पति या ससुराल वालो ने उससे दहेज की मांग कर क्रूरता की हो।

19- गवाह पी.ड.03 कुंभाराम परिवादी आदुराम का पड़ोसी है। ये भी परिवादी के साथ घटना के समय मृतका के ससुराल उनके साथ जाना बताता है और वहां पर गोमती की लाश झोंपडे में जली हुई देखना बताता है। प्रदर्श पी04 फर्द सूरतहाल लाश, व प्रदर्श पी05 फर्द पंचायतनामा पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताता है। जिरह में कहता है कि नोरंगराम, गोमती की सास मोहनी व उनके पड़ोसियों को नहीं जानता। यह घटना कैसे हुई पता नहीं

होना व कोई दुर्घटना हो तो भी पता नहीं होना बताता है। घटना के बारे में किसी के द्वारा भी वहां पर नहीं बताना बताता। इस प्रकार ये गवाह सिर्फ पड़ोसी होने के नाते परिवादी के साथ जाता है। बाकी स्वयं को किसी बात की जानकारी नहीं होना बताता।

20- गवाह पी.ड.04 बिसनाराम भी परिवादी का भाई होना बताता है और अपने भाई के साथ भोजास मृतका के ससुराल जाना बताता है। वहां जाकर देखना बताता है कि लड़की झोपड़ी में जलाई हुई पड़ी थी। यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। जिरह में कहता है कि गोमती का ससुराल वालो से कोई झगड़ा हुआ हो तो पता नहीं। पुलिस बयान से इंकार करता है।

21- गवाह पी.ड.05 रतनलाल भी परिवादी का भाई है जो मृतका के ससुराल घटना के समय अपने परिवार के लोगो के साथ जाना बताता है। **गवाह कहता है कि हमने गोमती का उसके ससुराल वालों के साथ लड़ाई-झगड़ा नहीं सुना।** इस पर इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन अधिकारी की जिरह में कथन किया है कि मेरे भाई आदुराम की 22 माह पूर्व मृत्यु हो गई थी। मुकदमा के बारे में उन्हीं को पता था, मैं कुछ नहीं जानता। अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी07 से इन्कार करता है। अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में कहता है कि गोमती अगर खाना बनाते वक्त दुर्घटनावश जल गई हो तो पता नहीं। इस प्रकार ये गवाह घटना के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताता है।

22- गवाह पी.ड.06 नेमाराम मृतका के ससुराल का पड़ोसी है। इसका मुख्य परीक्षण में कथन है कि इसका घर देवीलाल के घर से करीब 500 फुट दूर है। दिनांक 04/09/2015 को सुबह 08 बजे ये अपने घर पर था। उस दिन इसने देवीलाल के घर की तरफ आग जलते हुए देखी तो इसने वहां जाकर देखा कि उसके घर का झोंपड़ा जल रहा है जो काफी जल चुका था। उस झोंपड़े में देवीलाल की पत्नी गोमती जलकर खत्म हो चुकी थी। झोंपडे का दरवाजा खुला था। ये वहां पहुंचा तब इसके गांव का मोहनसिंह राजपुरोहित और देवीलाल की मां मोहनी देवी व 5-7 अन्य लोग मौजूद थे। इन सबने मिलकर आग में पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया था। आग कैसे लगी व गोमती कैसे जली ये पता नहीं होना बताया। इस पर इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक की जिरह में कथन किया कि आग बुझा रहे थे तब देवीलाल व नौरंगराम भी वहां आ गये थे। गोमती की सास मोहनीदेवी घटनास्थल पर पहले से मौजूद थी। इस बात का पता नहीं होना

बताया कि मोहनी देवी ने देवीलाल व नौरंगराम के कहने से गोमती को झोंपड़े में डालकर आग लगाकर जला दिया हो।

23- अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में कथन किया है कि जब ये घटनास्थल पर गया तब वहां कोई नहीं था। बाद में ओमप्रकाश व मोहनलाल आये। **नौरंगराम उस समय खेत पर गया हुआ था।** यह सही बताया कि नौरंगराम व उसकी पत्नी झोंपड़े में रहते थे और उसी झोंपड़े में चुल्हे पर आग जलाकर खाना बनाते थे। अपनी जानकारी में नौरंगराम व उसकी पत्नी के बीच दहेज की मांग को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होना बताया।

24- ये गवाह अपने मुख्य परीक्षण में ही कहता है कि ये जब घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां मोहनसिंह राजपुरोहित व मोहनीदेवी थे। उक्त मोहनसिंह राजपुरोहित को अभियोजन द्वारा साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है। ये गवाह जब मौके पर पहुँचा तब तक इसके कथनानुसार झोंपड़ा काफी जल चुका था। घटना इसने दिनांक 04/09/2015 की सुबह 08 बजे की होना बताई है। इसके पहुंचने तक गोमती भी जलकर खत्म हो चुकी थी। गवाह पी.ड.01 से पी.ड.05 तक गवाह परिवादी के परिवार के और है और गांव भोजास मृतका के ससुराल के नहीं है और मृतका के पीहर पक्ष के है, जो घटना की सूचना पर बाद में भोजास गांव पहुंचते है। ये गवाह पी.ड.06 नेमाराम प्रथम गवाह है जो घटनास्थल से 500 मीटर दूरी पर अपना घर होना व मौके पर जाना बताता है। बतौर पी.ड.07 कोई गवाह परीक्षित नहीं है। आगे के गवाह पर सह्वन से पी.ड.07 की जगह पी.ड. 08 लगा है। पी.ड.08 मोहननाथ अभियुक्ता मोहनीदेवी की फर्द गिरफ्तारी का गवाह है, जो प्रदर्श पी09 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताता है। गवाह पी.ड.09 देवनाथ भी अभियुक्ता मोहनीदेवी की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी09 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताता है।

25- गवाह पी.ड.10 शिवलाल का कथन है कि बयान दिनांक 30/07/2015 से 10 वर्ष पूर्व नौरंगलाल की पत्नी जलकर खत्म हो गई थी। जिस पर पुलिस मौके पर आई थी। पुलिस द्वारा अपने सामने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्रदर्श पी02 बनाना बताया जिस पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होना बताये। जिरह में कथन किया कि प्रदर्श पी02 नक्शा-मौका में क्या-क्या लिखा है व क्या-क्या दर्शाया है, ये नहीं पता। ये आदुराम के साथ आया था, और पुलिस वालों ने इसके हस्ताक्षर करवाये थे।

26- गवाह पी.ड.11 ओमप्रकाश पुत्र कालूराम मृतका के ससुर देवीलाल का भतीजा है। इसका कथन है कि बयान दिनांक 30/07/2015 से 10 वर्ष

पूर्व ये अपने घर पर था। सुबह 08-08.30 बजे इसके चाचा देवीलाल के घर में रोला सुनाई दिया तो ये मौके पर गया। इसने देखा कि झोंपड़े में आग लगी हुई थी। झोंपड़े का गेट अंदर से बंद था। झोंपड़े के अंदर नौरंगराम की पत्नी गोमती थी। इन्होंने गेट तोड़ने व झोंपड़े में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। फिर झोंपड़े के गेट को तोड़कर देखा तो अंदर गोमती देवी जलकर खत्म हो चुकी थी। मौके पर देवीलाल, नौरंगलाल, मोहनीदेवी उपस्थित नहीं थे। गोमती कैसे खत्म हुई पता नहीं। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपर लोक अभियोजक जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि इसके पुलिस बयान प्रदर्श पी10 में पुलिस ने क्या लिखा है इसे पढ़कर नहीं सुनाया। **यह सही होना बताया कि मुलजिम नौरंगलाल की पत्नी को तंग परेशान व उनके साथ मारपीट नहीं की थी।** यह गलत बताया कि गोमती उनके तंग-परेशान करने से मरी हो।

27- इस प्रकार अभियोजन की ओर से इस गवाह को यह सुझाव दिया गया है कि अभियुक्तगण गोमती (मृतका) को तंग परेशान नहीं करते थे व उसके साथ मारपीट नहीं करते थे। इस प्रकार के सुझाव को देखने से यह प्रकट होता है कि स्वयं अभियोजन यह मानता है कि मृतका को मृत्यु पूर्व उसके पति, सास या ससुराल वालों ने तंग परेशान नहीं किया।

28- अधिवक्ता अभियुक्तगण की जिरह में गवाह पी.ड.11 ओमप्रकाश का कथन है कि गोमती अपने ससुराल में अपने पति के साथ अलग रहती थी। वह घटना के दो वर्ष पूर्व से झोंपड़े में अलग रह रही थी। नौरंगलाल के साथ गोमती प्यार-मोहब्बत से रहती थी। नौरंगलाल व मोहनी ने गोमती के साथ मारपीट नहीं की थी। गोमती, जिस झोंपडे में आग लगी थी, उसमें खाना बनाती थी। उस झोंपडे में केरोसिन तेल का उपयोग चिमनी व चुल्हा जलाने में करती थी।

29- इस प्रकार उक्त गवाह पी.ड.11 ओमप्रकाश व पी.ड.06 नेमाराम घटना स्थल के पड़ोसी गवाह है। उक्त दोनो गवाहान की साक्ष्य महत्वपूर्ण है। गवाह पी.ड.06 नेमाराम पड़ोसी गवाह है जो आग जलते हुए देखकर मृतका के घर की ओर व झोंपड़े का दरवाजा खुला होना बताता है और ये गया तब तक गोमती का जलकर खत्म हो जाना बताता है तथा मौके पर ये गया तब तक वहां मोहनसिंह राजपुरोहित व मृतका की सास अभियुक्ता मोहनीदेवी का होना बताता है व 5-7 अन्य लोगो का होना बताता तथा सभी द्वारा मिलकर आग बुझाने का प्रयास करना बताता है। जबकि गवाह पी.ड.11 ओमप्रकाश, परिवादी आदुराम मृतका के पिता का भतीजा है जो रोला सुनकर घटनास्थल पर जाना

बताता है। ये आग देखकर या धुंआ देखकर घटनास्थल पर नहीं जाना बताता है और जब ये गया तब झोपड़े का गेट अन्दर से बंद होना बताता है और गेट तोड़कर अन्दर देखने पर मृतका गोमती को जलकर खत्म हो जाना बताता है। मौके पर कौन कौन उपस्थित था नहीं बताता है और नौरंगराम, मोहनीदेवी व देवीलाल को उपस्थित नहीं होना बताता है जबकि गवाह पी.ड.6 नेमाराम अभियुक्ता मोहनी देवी को वहां उपस्थित होना व आग बुझाने का इनके साथ में प्रयास करना बताता है और जब ये आगे बुझा रहे थे तब नौरंगराम व उसके पिता देवीलाल का भी वहां पर आ जाना बताता है। यह गवाह ओमप्रकाश की घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं बताता है। ओमप्रकाश पी.ड.11 भी पी.ड.6 नेमाराम की उपस्थिति नहीं बताता है। परन्तु बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 में अभियुक्ता मोहनी देवी स्वयं द्वारा आग बुझाने की कोशिश करना बताती है और इसके कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड.6 नेमाराम करता है। इससे गवाह पी.ड.11 ओमप्रकाश के कथन इस हद तक सत्य साबित नहीं होते कि अभियुक्ता मोहनीदेवी उस वक्त घटनास्थल पर नहीं थी, जब उक्त ओमप्रकाश परिवादी का भतीजा वहां गया था।

30- गवाह पी.ड.12 नरेन्द्रसिंह अभियुक्त नौरंगलाल की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 का गवाह है जो इस फर्द पर ए से बी स्वयं के व सी से डी अभियुक्त नौरंगराम के हस्ताक्षर होना बताता है। गवाह पी.ड.13 कमलेश कुमार भी अभियुक्त नौरंगलाल की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होना बताता है।

31- गवाह पी.ड.15 डॉ. दौलतराम भाटी का मुख्य परीक्षण में कथन है कि दिनांक 04-09-2015 को वह सीएचसी सेरूणा में एम.ओ. के पद पर पदस्थापित था तो उस रोज श्रीमती गोमती पुत्री आदूराम, पत्नी नौरंगराम निवासी भोजास का पोस्टमार्टम करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें इनके साथ डॉक्टर अनिल प्रताप भी सदस्य थे। उस दिन 3-45 पी.एम. पर पोस्टमार्टम शुरू किया गया था। मृतका गोमती देवी का शरीर सीधा लेटाया हुआ था जो डीप बर्न हो रखी थी। मृतका का पूरा शरीर जलकर काला होकर फूला हुआ था। शरीर से केरासिन की गंध आ रही थी। शरीर जकड़ा हुआ बोक्सिंग पोजिशन में था। मृतका के गले पर कोई लिगेचर मार्क नहीं था। मृतका की आँखे जली हुई थी। मृतका का सिर, बाल व स्केल्प जला भुना हुआ था। ब्रेन सिकुड़ा हुआ था। पेट खाली व सिकुड़ा हुआ था। बच्चेदानी खाली थी। बाहर से काली व गहरी जली हुई थी। बोर्ड द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है जिस पर जी से एच बोर्ड की राय व आई

से जे स्वयं के व ई से एफ डॉ. अनिल प्रताप के हस्ताक्षर होना बताये। बोर्ड की राय में मृतका गोमती देवी के जलने की वजह से शॉक के कारण उसकी मृत्यु होना पाई गई। मृतका की मृत्यु उसकी मृत्यु से पूर्व जलने से हुई थी। जिरह में यह सही बताया कि मृतका के शरीर पर जलने के अलावा अन्य कोई चोट पूरे शरीर पर नहीं थी। ना ही कोई अन्य संघर्ष लिगेचर मार्क शरीर पर थे। पोस्टमार्टम घटनास्थल पर किया था। घटनास्थल पर से किसी प्रकार का आर्गन, घटनास्थल पर पड़ी वस्तु व जली हुई कोई भी वस्तु व मृतका के शरीर से कोई विसरा व अन्य कुछ परीक्षण हेतु नहीं लिया। यह सही बताया कि इन्होंने पोस्टमार्टम 3-45 पी.एम. पर कर लिया था और मृतका की मृत्यु 6 से 12 घण्टे पूर्व मृत्यु होने की राय दी थी। यह सही बताया कि घास फुस के झोपड़े में ज्वलन प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। घटनास्थल से कोई प्लास्टिक की बोतल या अन्य कोई जरीकेन जिसमें केरोसिन डाला जाता हो वो कब्जे में नहीं ली थी। यह कहना सही बताया कि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 में टोटल बॉड़ी सरफेस ऐरिया का प्रसन्टेज लिखा हुआ है। इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि रेशमी कपड़े जल्दी आग पकड़ते हो। यह नहीं बता सकता कि मृतका के कपड़े रेशमी थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 14 के अनुसार मृतका की मृत्यु किसी दुर्घटना से भी हो सकती है।

32- गवाह पी.ड.14 बन्नेसिंह अनुसंधान अधिकारी का कथन है कि वह दिनांक 04.09.2015 वृत्ताधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 05.09.2015 को मुकदमा नंबर 68/2015 पीएस सेरूणा की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। मुकदमा दर्ज करवाने की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिस पर सी से डी पुलिस कार्यवाही का अंकन व ई से एफ कानसिंह के हस्ताक्षर है, जी से एच पुलिस कार्यवाही का अंकन है, आई से जे विष्णुदत्त जी के हस्ताक्षर है जिन्हें अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण वह पहचानता हूै। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी कानसिंह एएसआई, सी से डी विष्णुदत्त एसआई के हस्ताक्षर है जिन्हें अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण वह पहचानता है। पंचनामा लाश मृतका गोमती प्रदर्श पी 5 है जिस पर के से एल कानसिंह के हस्ताक्षर है जिन्हें अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण वह पहचानता है तथा ए से जे तक पंचान हस्ताक्षर है। फर्द सुरत लाश मृतका गोमती प्रदर्श पी 4 है जिस पर आई से जे कानसिह एएसआई के हस्ताक्षर है। रसीद सुपूर्दगी लाश मृतका गोमती प्रदर्श पी 3 है जिस पर ई से एफ कानसिंह एएसआई के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान घटना स्थल का नक्शा मौका

बनाया गया जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श पी 2ए है जिस पर ए से बी आदूराम, सी से डी ओमप्रकाश, ई से एफ शिवलाल व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान गवाह बिसनाराम, रतनलाल, नेमाराम, ओमप्रकाश, आदूराम, ओमप्रकाश, कुम्भाराम, भंवरलाल, मोहनसिंह के कथनानुसार उनके बयान लेखबद्ध किये। मृतका गोमती देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जिस पर ए से बी उसका पृष्ठांकन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मृतका गोमती की शादी का कार्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 13 है। आरोपी नौरंगराम को दिनांक 07.09.2015 को गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी नरेन्द्र सिंह कास्टेबल, सी से डी मुलजिम नौरंगराम के हस्ताक्षर है, ई से एफ कमलेश कास्टेबल तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। आरोपी मोहनी देवी को दिनांक 24.09.2015 को गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी मोहननाथ, सी से डी देवनाथ, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिमा मोहनी देवी का अंगूठा निशानी है। बाद अनुसंधान आरोपीगण नौरंगलाल व मोहनी के विरूद्ध धारा 304 बी, 498ए भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

33- गवाह पी.ड.14 अनुसंधान अधिकारी जिरह में कथन करता है कि प्रदर्श पी 1 उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रदर्श पी 1 किसने लिखा नहीं पता। आदूराम केवल हस्ताक्षर करना जानता था बाकी वह अनपढ़ है। प्रदर्श पी1 में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रदर्श पी1 परिवादी आदूराम को पढकर सुनाई गई थी। इसी आधार पर एफआईआर प्रदर्श पी 12 दर्ज की गई है। प्रदर्श पी 3, पी 4 व पी 5 किसकी लेखनी है नहीं पता। यह सही है कि प्रदर्श पी 3, पी 4, व पी 5 एफआईआर दर्ज होने से पहले बनी हुई है। यह सही है कि प्रदर्श पी 3, पी 4 और पी 5 जिसने लिखी, जिन परिस्थितियों में बनाई उनके बयान नहीं लिये। बयानात् गवाहान् 161 सीआरपीसी के बयान उसकी लेखनी में नहीं है। प्रदर्श पी 2 उसकी लेखनी नहीं है और ना ही उसें द्वारा बनाया गया है अजखुद कहा कि उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार बनाया गया था, जिसने बनाया उसके हस्ताक्षर नहीं है। उसे तफ्तीश 5 तारीख को मिली थी। घटना स्थल उसे तफ्तीश प्राप्त होने से पहले किसकी निगरानी और सुरक्षा में रहा ऐसा कोई उल्लेख पत्रावली में नहीं है। जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उस समय कोई भी वस्तु घटना स्थल से पुलिस कब्जा में नहीं ली। उसके द्वारा घटना स्थल पर किसी भी विशेषज्ञ

साक्षी या कोई एफएसएल टीम को नहीं बुलाया गया। न्यायालय की पत्रावली में घटना स्थल के फॉटोग्राफ व वीडियोग्राफी पेश नहीं है। घटना स्थल पर कोई फॉटोग्राफी या वीडियोग्राफी की हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। उसके अनुसंधान में इस घटना में आग कैसे लगी का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है अजखुद कहा कि आग लगने के बाद के गवाह है। उसकी तफ्तीश में आग लगने के कारण का कोई खुलासा नहीं किया है। यह सही है कि नौरंगलाल वर वक्त घटना घटना स्थल पर नहीं था। उसकी तफ्तीश में यह आया है कि मृतका गोमती घटना स्थल झोंपड़े में घटना से पूर्व 1 साल से रह रही थी। यह सही है कि उक्त झोंपड़े में कोई विद्युत कनेक्शन नहीं था। यह सही है कि उक्त झोंपड़े में कोई गेस सिलेण्डर भी नहीं था। यह सही है कि इसी झोंपड़े में गोमती खाना बनाती थी। यह सही है कि उक्त झोंपड़ा नीचे से कच्चा था व उपर घास फूस से बना हुआ था। यह कहना सही है कि इस घटना से पूर्व गोमती द्वारा नौरंगराम के विरूद्ध कोई भी लिखित शिकायत या मुकदमा नहीं करवाया गया था। यह सही है कि थाने से कोई भी दायित्ववान पुलिस कर्मी रवाना होता है तो उसकी रवानगी रिपोर्ट व आमद रिपोर्ट रोजनामचा में दर्ज होती है। यह सही है कि इस पत्रावली में कोई भी रोजनामचा रवानगी/आमद रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। घटना के रोज सेरूणा व डूंगरगढ़ पुलिस किस साधन या वाहन से घटना स्थल पर गई मुझे नहीं पता। उसने घटना स्थल से कोई भी आग लगने, आग लगाने तथा ज्वलनशील पदार्थ प्राप्त नहीं किया था। यह कहना सही है कि झोंपड़े में अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ हो तो वह भी आग की चपेट में आ सकता है। यह कहना सही है कि उसकी तफ्तीश में यह आया है कि घटना से पूर्व गोमती व नौरंगराम दोनों साथ में मजदूरी करने जाते थे। यह कहना सही है कि मेरी तफ्तीश में परिवादी के बयानों के अनुसार दहेज कब मांगा गया उसकी कोई तारीख अंकित नहीं है अजखुद कहा कि दहेज मांगा गया था। यह कहना सही है कि घटना से 1 महिना पहले,15 दिन पहले, गोमती और नौरंगराम कैसे व किस स्थिति में थे इस बाबत् कोई तथ्य गवाहों ने नहीं बताये। यह कहना सही है कि झोंपड़े से कुछ दूरी पर रेल्वे लाईन स्थित है। यह कहना सही है कि झोंपड़ा चारों तरफ से झोंपड़े की दीवार के अलावा ओर कोई दीवार नहीं है। यह कहना सही है कि उसने अपनी तफ्तीश में कोई मोबाईल कब्जा पुलिस में नहीं लिया। यह कहना सही है कि ससुराल पक्ष से ही थाने और पीहर में फोन किया गया था। यह कहना सही है कि घटना से 1 दिन पहले गोमती और नौंरगराम मजदूरी करने के लिये राजीखुशी डूंगरगढ़ आये थे। यह कहना सही है कि गवाह आदूराम, ओमप्रकाश,

किशनाराम और रतनलाल सगे भाई है, और गवाह भंवरलाल उनका रिश्तेदार है तथा सभी गवाहान् भीनासर के निवासीगण है। गवाह शिवलाल उदासर का निवासी है। घटना स्थल के पड़ोस में एक मकान है जिन्होंने गवाही देने से मना कर दिया। यह कहना सही है कि भोजास के किसी भी गवाह ने गोमती को तंग परेशान करने की बात नहीं बताई। डॉक्टर साहब को उसने नहीं बुलाया था। यह कहना सही है कि मेरी तफ्तीश में डॉक्टर साहब ने घटना स्थल से कोई साक्ष्य एकत्रित किये हों ऐसा नहीं आया है। यह सही है कि मेरी तफ्तीश में किसी भी गवाह ने विशिष्टतयां यह नहीं बताया कि गोमती कैसे जली। यह कहना गलत है कि गोमती के परिजनों ने इस घटना से सामाजिक रूप से क्षुब्ध होकर भावुकता से यह मुकदमा दर्ज करवाया हो।

34- इस प्रकार डॉ. पी.15 दौलतराम भारी के अनुसार मृतका के शरीर से कोरोसिन तेल की गंध आ रही थी। मृतका डीप बर्न थी। बच्चेदानी खाली थी जलने से शॉक के कारण मृतका की मृत्यु हुई थी।

35- पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रदर्श पी 2 व 2ए घटनास्थल का नक्शा व हालात मौका है। हालात मौका के अनुसार नक्शा में नंबर आई से मकान झोपड़ा रिहायश मृतका व मुलजिम नौरंगराम होना दर्शाया गया है। इसमें मार्क ए से जला हुआ झोपड़ा करीबन 7×7 वर्गफिट का बना हुआ जो पूरा अन्दर से जला हुआ होना तथा झोपड़े के अन्दर रखा सामान अलमारी, बक्सा व छोटा मोटा सारा कुछ जला हुआ व कुछ अधजला पड़ा होना दर्शित किया गया। मार्क ई से झोपड़े का गेट व मार्क एफ से झोपड़े के आगे कच्चा चौक दर्शाया गया है। इस झोपड़े के पास में ही पक्का मकान नंबर आई से दर्शित किया गया है। उक्त मकान मुलजिम नौरंगराम का होना बताया गया है जो झोपड़े के बिल्कुल पास ही स्थित है वह एक ही गुवाड़ी में है। उक्त पक्के मकान में मार्क जी रसोई,एच,आई,जे कमरे व आर से छत पर जाने सकी सीढियां व मार्क एल से प्रवेश द्वार होना दर्शित किया गया है।

36- इस प्रकार प्रदर्श पी 2 व 2ए घटनास्थल के नक्शा व हालात मौका से प्रकट होता है कि मार्क नंबर आई मकान मुलजिम नौरंगलाल में व झोपड़ा दोनों में मृतका व अभियुक्त नौरंगराम की रिहायश होना बताई गई है। उक्त मकान में मार्क जी रसोई होना दर्शित किया गया है। प्रश्न यह उठता है कि यदि मकान में रसोई थी तो मृतका झोपड़े में चूल्हे पर खाना क्यों बना रही थी और यदि मृतका अपने पति के साथ झोपड़े में अलग रहती थी तो मार्क आई मकान को मृतका के ससुर सास का होना क्यों नहीं दर्शित किया

गया। झोपड़े में कोई चूल्हा होना नक्शा व हालात मौका में अंकित नहीं है। पूरा झोपड़ा जला होना पाया जाना व उसमें जो भी सामान संदूक आदि था वो पूरा जल जाना व झोपड़े में फूसा भरा होना बताया गया है। पत्रावली पर मौजूद मौखिक साक्ष्य के अनुसार मृतका को झोपड़े में अपने ससुराल वालों से अलग रहना बताया गया है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 व हालात मौका प्रदर्श पी 2ए के संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.ड.14 बन्नेसिंह का कथन है कि उक्त दोनों दस्तावेज इसके निर्देशन में तैयार किए गए है। इसकी स्वयं की लेखनी नहीं है और इस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना व गवाहान ओमप्रकाश व शिवलाल तथा आदुराम के हस्ताक्षर होना बताये है। प्रदर्श पी02 व पी02ए के गवाहान के कथनों का अवलोकन किया जाये तो पी.ड.01 आदुराम ने कथन किया है कि नक्शा-मौका प्रदर्श पी02 पर इसके ए से बी हस्ताक्षर थाने में करवाए थे। गवाह पी.ड.02 ओमप्रकाश पुत्र भग्गाराम का जिरह में कथन है कि प्रदर्श पी02 से प्रदर्श पी05 पर पुलिस ने थाने में ही हस्ताक्षर करवाये थे। अनपढ होने से उक्त फर्दो में क्या लिखा है पता नहीं होना बताया। प्रदर्श पी02 व पी02ए का तीसरा गवाह शिवलाल पी.ड.10 भी प्रदर्श पी02 पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होना बताता है तथा जिरह में कथन किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी02 में क्या लिखा है व क्या दर्शाया है इसे पता नहीं है। इस प्रकार गवाह पी.ड.01 आदुराम, पी.ड.02 ओमप्रकाश व पी.ड.10 शिवलाल तीनो ही घटनास्थल के नक्शा व हालात मौका की ताईद नहीं करते है। प्रदर्श पी03 रसीद सुपुर्दगीलाश द्वारा मृतका की लाश उसके पिता आदुराम पी.ड.01 परिवादी को सुपुर्द की गई है। गवाह पी.ड.05 रतनलाल परिवादी आदुराम के भाई के कथनानुसार मृतका गोमती की अन्त्येष्टी उसके ससुराल वालो ने ही की थी। प्रदर्श पी04 फर्द सूरत हाल लाश मृतका गोमती के अनुसार मकान नवरंगलाल नायक के बने कच्चे झोंपड़ा जला हुआ में एक औरत की लाश आग से बुरी तरह जली हुई चित अवस्था में पड़ी हुई दिखाई गई। ओमप्रकाश पी.ड.02 ने अपनी सगी भतीजी गोमती की लाश होना बताई। चेहरा पहचानने योग्य नहीं होना, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना फर्द में अंकित है।

37- इसी प्रकार फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी05 का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि इसमें गोमती की मृत्यु आग से जलने के कारण होना पंचान द्वारा बताया जाना अंकित है।

38- पत्रावली पर विद्यमान समग्र साक्ष्य के विश्लेषण से यह पूर्णतया साबित है कि दिनांक 04/09/2015 को 08 ए.एम. के लगभग मृतका गोमती की मृत्यु अपने झोंपड़े में आग लगने के कारण हुई है। न्यायालय को यह

देखना है कि उक्त आग अभियुक्तगण द्वारा लगाई गई या दुर्घटनावश आग लगने से गोमती जल गई।

39- हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण नौरंगराम मृतका के पति व उसकी माता व मृतका की सास श्रीमती मोहनी देवी पर अपराध अंतर्गत धारा 498ए/34 व 304बी/34 भारतीय दंड संहिता का आरोप जैर विचारण रहा है।

40- धारा 498 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि अभियुकतगण ने मृतका का पति व सास होते हुए 14 फरवरी 2013 में मृतका गोमती की शादी अभियुक्त नौरंगराम के साथ होने के पश्चात से लेकर दिनांक 04/09/2015 को प्रातः 08 बजे के लगभग तक उसके दहेज व रूपयों की अवैध मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की गई व उसे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किया गया और जिससे तंग होकर श्रीमती गोमती ने दिनांक 04/09/2015 को भोजास स्थित सुबह 08 बजे स्वयं को आग लगा ली जिससे जलने से गोमती की अपनी शादी के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।

41- धारा 113 (बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है-

''जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।''

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनो के लिए ''दहेज-मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 304(बी) में है।

42- इस प्रकार पत्रावली पर विधमान मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से न्यायालय को यह देखना है कि क्या मृत्यु दिनांक 04/09/2015 को सुबह 08 बजे से कुछ समय पूर्व अभियुक्तगण नौरंगराम व मोहनीदेवी द्वारा मृतका गोमतीदेवी से दहेज की मांग की जाकर उसके साथ क्रूरता की गई और क्या उसे तंग परेशान किया गया।

43- इसके संबंध में महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.01 आदुराम मृतका गोमती का पिता साक्ष्य में परीक्षित हुआ है। इसने अपनी जिरह में कथन किया है कि ''करीबन डेढ-दो वर्ष पहले मेरी लड़की ने फोन से मारपीट करने की बात मुझे बताई थी। यह कहना सही है कि करीब एक-डेढ वर्ष पहले मुझे मेरी लड़की ने

सूचना दी थी और उसके बाद मुझे दिनांक 04/09/2015 को ही सूचना मिली थी।'' इस प्रकार मृतका के पिता के अनुसार उसके बयान दिनांक 04/09/2015 से एक डेढ वर्ष पूर्व उसकी पुत्री ने फोन से बताया कि उसके साथ मारपीट हुई। मारपीट किसने की नहीं बताया और तब से दिनांक 04/09/2015 (मृत्यु की दिनांक) व इस अवधि के बीच में अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित करना व इस गवाह ने नहीं बताया है। अपनी बेटी द्वारा स्वयं को रूबरू होकर कोई बात कहना नहीं बताई है। अपने भाई की मृत्यु होने पर मृतका 5-7 दिन अपने पीहर रही तब भी अपने पिता आदुराम पी.ड.01 को कोई बात नहीं कहना बताई है। अपनी बेटी से अभियुक्त नौरंगराम द्वारा ही फोन से बाते करवाना बताई है। अपने मुख्य परीक्षण में पी.ड.01 आदुराम ने कथन किया है कि शादी के बाद मेरी बेटी को सास, ससुर व पति दहेज के लिए तंग परेशान करने लगे। वे कभी रूपयों व कभी अंगुठी की मांग करने लगे और इसलिए मारपीट करने लगे। एक बार उसके ससुराल वालों ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती मारपीट की थी तो मैं उसे ससुराल से मेरे घर लेकर आ गया। उस समय उसके पति नौरंग ने मारपीट की थी। उसकी सास भी मारपीट करती थी और उसकी नणंदे लिछमा आदि भी परेशान करती थी। वे लोग कहते थे कि ''तेरा बाप रूपयों से मजबूत है। तेरे बाप से कहकर रूपये व जमीन हमारे नाम करवादे।'' उक्त कथनों में गवाह आदुराम ने ऐसी कोई अवधि, दिनांक, वर्ष या महीना नहीं बताया है जबकि उक्त व्यवहार इसकी पुत्री के साथ अभियुक्तगण द्वारा किया गया है। अपनी पुत्री के मेडिकल मुआयना संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। इस संबंध में कभी कोई पंच-पंचायती हुई हो यह भी नहीं बताया है तथा ना ही इस संबंध में कोई शिकायत या रिपोर्ट आदि दर्ज करवाई गई है। अपनी स्वयं की जिरह में इस गवाह ने बताया है कि दिनांक 04/09/2015 से पूर्व डेढ-दो वर्ष के बीच में कोई शिकायत इसे अपनी पुत्री से प्राप्त नहीं हुई थी। इससे स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 04/09/2015 से ठीक पूर्व मृतका को अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग हेतु क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया था तथा ना ही उसे तंग या परेशान किया गया था। बल्कि आदुराम पी.ड.01 ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि जब भी कोई आपात परिस्थिति होती थी, तो इसकी पुत्री गोमती इससे फोन से बात करवाती थी और गोमती के पास फोन नहीं था, जिससे नौरंगराम ही अपने फोन से गोमती की बात इसके पिता आदुराम से करवाता था। अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में आदुराम पी.ड.01 ने स्वयं को यह पता नहीं होना

बताया है, कि घटना के पहले दिन मृतका व उसका पति नौरंगराम साथ-साथ मजदूरी करके घर वापस आये है और इससे पूर्व भी राजीरजा मजदूरी करने साथ-साथ जाते हो और आते हो, अर्थात इस तथ्य से इस गवाह ने इंकार नहीं किया है। दहेज की मांग करने का तथ्य इस गवाह के कथनो से साबित नहीं है। परिवादी पी.ड.01 आदुराम ने स्वयं से रूपयों की मांग करना बताया है, जबकि स्वयं कथन करता है कि वह बी.पी.एल. की श्रेणी में आता है और दूसरी तरफ कहता है, कि अभियुक्तगण ने कहा कि उसके पास रूपये बहुत है। इस तथ्य का अन्य कोई गवाह नहीं है। आदुराम को यह भी जानकारी नहीं है कि उसकी पुत्री घटना से डेढ़ दो वर्ष पूर्व से झोंपड़े में अपने ससुराल वालों से अलग अपने पति के साथ रही रही हो। इसका अभिप्राय है, कि घटना से डेढ़-दो वर्ष पूर्व की अवधि के आदुराम पी.ड.01 अपनी बेटी के ससुराल के घर गांव भोजास में नहीं आया और वहां तभी नहीं आया होगा जबकि स्थिति सामान्य थी।

44- दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त ''करणसिंह बनाम हरियाणा राज्य'' क्रिमिनल अपील नंबर 1076/2014 दिनांक 31.01.2025 प्रस्तुत किया गया है जिससे पैरा 08 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि The presumption under Section 113-B will apply when it is established that soon before her death, the woman has been subjected by the accused to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry. Therefore, even for attracting Section 113-B, the prosecution must establish that the deceased was subjected by the appellant to cruelty or harassment for or in connection with any demand of dowry soon before her death. Unless these facts are proved, the presumption under section 113-B of the Evidence Act cannot be invoked.

45- अनुसंधान अधिकारी पी.ड.14 श्री बन्नेसिंह की साक्ष्य के अनुसार घटनास्थल से अन्य कोई साक्ष्य सामग्री जब्त नहीं की गई है, जिससे अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शित होती हो। गवाह पी.ड.06 नेमाराम जो सर्वप्रथम आग देखकर घटनास्थल पर पहुंचना बताता है, उसकी साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त नौरंगराम खेत पर गया हुआ था तथा वह बाद में सूचना मिलने पर मौके पर आया था, जब ये लोग आग बुझा रहे थे। गवाह पी.ड.02 ओमप्रकाश मृतका के चाचा घटना के दिन पहली बार ही मृतका के ससुराल आना बताता है। पी.ड.05 रतनलाल भी मृतका का सगा चाचा है, जो कहता है

कि गोमती का उसके ससुराल वालों के साथ कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं सुना। गवाह पी.ड.08 मोहनलाल, अभियुक्तगण का खेत पड़ोसी है। इसने कथन किया है कि नौरंगराम व उसकी पत्नी को जानता है। वे राजीखुशी रहते थे। इनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं था। नौरंगराम द्वारा उसे तंग परेशान करने का ना तो देखा व ना ही हुआ।

46- पी.ड.14 अनुसंधान अधिकारी बन्नेसिंह का कथन है, कि वक्त घटना नौरंग घटनास्थल पर नहीं था। यह सही बताया कि इसी झोंपड़े में गोमती खाना बनाती थी। झोंपड़ा नीचे से कच्चा था व ऊपर से घास फूस से बना हुआ था। अपनी तफ्तीश में यह आना बताया कि नौरंग व गोमती घटना से पूर्व दोनो साथ में मजदूरी करने जाते थे। एक दिन पहले भी ये दोनो मजदूरी करने श्रीडुंगरगढ आये थे। भोजास के किसी भी गवाह ने गोमती को तंग परेशान करने की बात नहीं बताई। अपनी तफ्तीश में विशिष्टतयां यह नहीं आना बताया कि गोमती कैसे जली। अभियोजन के गवाहान की साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है, कि अभियुक्त पक्ष की ओर से पुलिस को सूचना पहले दी गई थी, जिस पर परिवादी पक्ष से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी।

47- इस प्रकार पत्रावली पर विधमान साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने मृतका के विधिवत विवाहिता पति व सास होते हुए उससे दहेज की अवैध मांग की पूर्ति हेतु शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की हो या उसके साथ मारपीट कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो और मृतका की मृत्यु दिनांक 04/09/2015 के ठीक पूर्व भी अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग करना व इस आशय से शारीरिक व मानसिक क्रूरता करना साबित नहीं होता है और ना ही यह साबित होता है कि इसके परिणाम स्वस्थ मृतका ने स्वयं को जलाकर मार डाला है। बल्कि सभी गवाहान ने अपनी साक्ष्य में एकमत रूप से इस संभावना से इंकार नहीं किया है, कि झोंपड़े में खाना बनाते समय, मिट्टी के तेल से आग लग सकती है व दुर्घटना कारित हो सकती है।

48- इस प्रकार अभियोजन द्वारा पत्रावली पर जो उपरोक्त साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उसके विवेचन व विश्लेषण से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपति अपराध अन्तर्गत धारा **498ए, 304बी, सपठित धारा 34** भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे साबित नहीं पाये जाते है। अतः अभियुक्तगण इन धाराओं में संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त होने के पात्र है

आदेश

49- अतः अभियुक्तगण नौरंगराम पुत्र देवीलाल, मोहनी देवी पत्नी देवीलाल, निवासीगण भोजास पुलिस थाना सेरूणा जिला बीकानेर को भा.द.सं. की धारा **498 ए, 304 बी, सपठित धारा 34** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत को बाद गुजरने मियाद अपील या अपील नहीं होने के सूरत में नियमानुसार निस्तारित किया जाए। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि द.प्र.सं. की धारा 437-ए के तहत प्रत्येक अभियुक्त दस-दस हजार रूपये के जमानत-मुचलके पेश कर तस्दीक कराए कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर वे अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जायेंगे।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

50- निर्णय आज दिनांक 19-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर